2025:AHC:172351

उच्च न्यायालय, क्षेत्राधिकार इलाहाबाद

रिट ए संख्या–३११२५/२०००

डा० देवी प्रसाद द्विवेदी ... याचिकाकर्ता

प्रति

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अन्य ... प्रतिवादीदण

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता	:	बी.एन.सिंह, डी.एस.त्रिपाठी, एच.एन सिंह, पी.पाडिया, वी.डी.शुक्ला, वी.एन.सिंह, विनीत कुमार सिंह
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता	:	पी.एम.एन.सिंह, वी.डी.ओझा, विनीत संकल्प

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

न्यायालय सं०–५

मौखिक आदेश

माननीय सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति

१. वर्तमान याचिका गत् २५ वर्षों के अन्तराल के पश्चात, आज अंतिम रूप से निस्तारित की जा रही है।

२. वर्तमान याचिका में निम्नलिखित तथ्य, पत्रावली पर उपस्थित आलेख व अभिवचनों की पृष्ठभूमि में अविवादित माने जा सकते हैंः–

क. याचिकाकर्ता, डा० देवी प्रसाद द्विवेदी को उनकी विद्वता, कि वह कर्मकाण्ड में निष्णात, व नैष्ठिक विद्वान है और भगवान का दैनिक अभिषेक करने वालो में उच्च रहें है, के दृष्टिगत, श्री काशी विद्वत्परिषत् के अध्यक्ष ने

एक पत्र दिनांकित १३.०१.१९९४, आयुक्त एवं अध्यक्ष कार्यपालक समिति, काशी विश्वनाथ मन्दिर, वाराणसी को प्रेषित करके, याचिकाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के साथ, भगवान विश्वनाथ की विधि–विधान की पूजा उनकी देख–रेख में करने के लिए, उचित निर्णय हेतु निवेदन किया। इस निवेदन की आवश्यकता का कारण पूर्व में भगवान विश्वनाथ की पूजा की देख–रेख, कई गत् वर्षों से कर रहे, पं० बंशीधर का स्वर्गवास होना था।

ख. उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांकित १३.०१.१९९४, का संज्ञान लिया गया और याचिकाकर्ता की सुविधानुसार और यह कि रात्रिकालीन भोग आरती के लिए कोई शास्त्री/आचार्य नियुक्त नहीं था और यह भी विचारणीय रहा कि याचिकाकर्ता को रात्रीकालीन पूजा आरती का कार्य करने में बहुत कष्ट न हो तो उक्त प्रयोजन व अन्य धार्मिक कार्यों के लिए उन्हे नियुक्त किया जा सकता है।

ग. उपरोक्त के दृष्टिगत व विचार विमर्श के उपरान्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पत्रांक संख्या ९४१/आ०लि० ०–९४, दिनांकित २४ जून १९९४, द्वारा याचिकाकर्ता को, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में रात्रिकालीन भोग आरती को विधिवत् सम्पन्न कराने हेतु 'आचार्य' नियुक्त किया तथा उन्हें विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को कर्मकाण्ड आदि के प्रशिक्षण का दायित्व भी सौंपा गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह नियुक्ति/व्यवस्था एक वर्ष के लिए, अस्थायी रूप से रहेगी तथा यह व्यवस्था बिना किसी कारण कभी भी समाप्त की जा सकेगी। एक मानद राशि रू० १५००/– प्रति माह भी निर्धारित करी गयी।

घ. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता ने ०१.०७.१९९४ को उपरोक्त वर्णित पद का कार्यभार ग्रहण किया और पूर्ण निष्ठा से उक्त पूजा–पाठ श्रृंगार आरती व अन्य कार्यों का निर्वाहन प्रारम्भ कर दिया।

ङ श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर ट्रस्ट, वाराणसी की बैठक दिनाँक २७.०५.१९९५, में विस्तृत विचार विमर्शोपरांत सर्वसम्मति से अध्यक्ष, श्री काशी विद्वत्परिषत् के, प्रस्ताव दिनांक १३.०१.१९९४, को स्वीकार किया

और याचिकाकर्ता को श्रृंगार– भोग आरती सम्पन्न कराने हेतु तथा पुजारियों के परीक्षण हेतु, १५००/– रू० मासिक मानद राशि पर, 'आचार्य' के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करी तथा इसी बैठक में दो और निर्णय सर्वसम्मति से पारित किए। पहला, याचिकाकर्ता का मानदेय १५०० रू० मासिक से बढाकर ३००० रू० मासिक किया गया और दूसरा उनका कार्यकाल ३ वर्षों के लिए बढ़ाया गया।

च. उपरोक्त बैठक में याचिकाकर्ता के कार्यों की सराहना भी की गयी, कि मन्दिर के प्रशासन, प्रगति एवं मंदिर के सांस्कृतिक क्रिया कलापों में उनका सर्वयोग व उत्साह रहा एवं उनकी निष्ठा, असाधारण एवं अनिर्वचनीय रही। इसके उपरांत पत्रांक दिनांकित २० नवम्बर १९९४ के द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त दायित्वों का निर्वाहन को प्रमाणित भी किया और कालान्तर में आयुक्त एवं अध्यक्ष, कार्यपालक समिति श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर, वाराणसी द्वारा एक 'प्रशस्ति पत्र' दिनांकित २५.०९.१९९९, याचिकाकर्ता को प्रदान किया।

छ. काशी विश्वनाथ मन्दिर ट्रस्ट, वाराणसी की ३७वीं न्यास परिषद बैठक दिनाँक १० नवम्बर १९९८ में सर्वसम्मति से याचिकाकर्ता के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर विचारोपरान्त यह निर्णय किया गया कि उनके नियुक्ति पत्र में अंकित एक वर्ष की समय सीमा समाप्त की जायें व उनका मानदेय रू० ३०००/– से बढाकर रू० ३५००/– प्रतिमास किया जाने का निर्णय लिया गया तद्नुसार स्वीकृति भी प्रदान करी गयी। साथ ही साथ खण्डित मूर्तियों आदि का विधिपूर्वक विसर्जन करने के लिए भी याचिका कर्ता व एक अन्य को अधिकृत किया गया। नियुक्ति आदेश से एक वर्ष की समयावधि को समाप्त करने का निर्णय याचिका कर्ता को मुख्य पालक अधिकारी ने पत्र दिनांकित ०३.१२.१९९८ द्वारा सूचित भी किया। यहाँ यह उल्लिखित करना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता के नियुक्ति पत्र में 'एक वर्ष' की समयावधि समाप्त करने का निर्णय, मानदेय बढाने का निर्णय व अन्य कार्यों के सम्पादन के लिए अधिकृत करना, का तात्पर्य, याचिकाकर्ता का नियोजन बनाए रखना तो हो सकता है परन्तु इन सबका ऐसा कोई भी विपरीतार्थक तात्पर्य नहीं हो सकता कि

याचिकाकर्ता का नियोजन विस्तार नहीं किया गया था और इस कारण उसका नियोजन समाप्त हो गया। अन्यथा उक्त सभी निर्णय व्यर्थ और बेमतलब हो जायेंगे और यह कि इसके उपरान्त भी याचिकाकर्ता अविवादित रूप से पूजा अर्चना करता रहा।

ज. प्रतिवादी संख्या ५ जो तत्समय मुख्य सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। अचानक कथित रूप से विश्वनाथ मंदिर में आकर एक दिन लम्बे समय तक अनुष्ठान करना चाहते थे, जिसके लिए एकान्त की आवश्यकता थी, जो मंदिर के सामान्य भक्तों के दर्शन रोक कर, देने में कठिनाई थी। इस कारण याचिकाकर्ता ने उस अधिकारी से ऐसी पूजा न करने का आग्रह किया, जो उस अधिकारी को नागवार गुजरा और याचिकाकर्ता के विरूद्ध, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक छद्म परिवादी को खडा कर, एक शिकायत पत्र दिनांकित ०५.०२.२००० प्रेषित करवाया गया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अवैध है और मंदिर के क्रिया– कलापों में वित्तीय अनियमिततायें हुई है।

झ. उक्त शिकायत पत्र का संज्ञान लिया गया और याचिकाकर्ता के विरूद्ध, उसकी पीठ के पीछे एक जाँच करायी गयी और जाँच आख्या को न्यास की बैठक दिनांक २२.०६.२००० में विचारण हेतु रखा गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि काशी विश्वनाथ अधिनियम, १९८३ की धारा २१ (१) तथा २१ (३) के अन्तर्गत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कर्मचारी की नियुक्ति करने तथा उन्हे हटाने में सक्षम है और उसको याचिकाकर्ता की सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया। यहाँ यह भी उल्लिखित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने कभी भी याचिकाकर्ता को मंदिर का कर्मचारी नहीं माना है।

ञ. शिकायती पत्र के आधार पर जाँच आख्या की प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं करायी अपितु शिकायत पत्र की एक प्रति याचिकाकर्ता को मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पत्र दिनांकित २७.०५.२००० के माध्यम से प्रेषित की। याचिकाकर्ता ने उसका एक विस्तृत उत्तर दिनांकित १५.०६.२००० को प्रेषित किया।

ट. उपरोक्त परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने आदेश दिनांकित १२.०७.२००० द्वारा यह निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता का सेवा विस्तार २४.०६.१९९८ के बाद नहीं हुआ। अतः उक्त तिथि से उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो गयी। साथ ही साथ उनको दी गयी मानक राशि भी विधि सम्मत नहीं थी और विस्तृत परीक्षण के बाद वसूली हेतु अलग से विस्तृत आदेश पारित करने की स्वतंत्रता रखी। आदेश के मुख्य अंश निम्न है:

"मैने अखिल भारतीय श्री पण्डित परिषद का शिकायती प्रार्थना पत्र, डा० देवी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण एवं अन्य साक्ष्य तथा शासन द्वारा करायी गयी जांच आख्या का अवलोकन किया तथा श्री द्विवेदी को व्यक्तिगत पत्रावली पर लगे सभी अभिलेख का परीक्षण किया और उस पर विचार किया। डा० देवी प्रसाद द्विवेदी ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 15.06.2000 में स्वयं स्वीकार किया है कि " श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर कार्यालक समिति की २२ वी बैठक दिनांक १५.०४.९४ में सर्वसम्मति से मन्दिर आचार्य पद पर मुझे नियुक्त किया गया तथा उसी बैठक में मुझे भोग–श्रंगार आरती सम्पन्न कराने तथा पुजारियों को प्रशिक्षण देने हेतु आचार्य के रूप में नियुक्ति की गयी। नियुक्ति के एक वर्ष बाद मन्दिर आचार्य पद पर मेरी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए पुनः बढा दी गयी। वह तीन वर्ष की अवधि २८ को समाप्त हो गयी। मैने मन्दिर आचार्य पद पर सेवा एवं संतुष्टि हेतु प्रार्थना पत्र दे दिया। किन्तु सेवा स्थायीकरण का आदेश अभी तक निर्गत नहीं हुआ। मुख्य कार्यपालक अधिकारी से पूछने पर उन्होने कहा कि आदेश निकले या न निकले उससे आपका क्या मतलब आप मन्दिर आचार्य पद पर नियमों के तहत स्थायी थे। डा० देवी प्रसाद द्विवेदी के उपरोक्त कथन में बल नहीं है। <u>न्यास परिषद की ३७वीं बैठक दिनांक १०.११.९८ के एजेण्डा मद १४ अन्य विषय के बिन्दु (२) में डा० देवी प्रसाद द्विवेदी के स्थायीकरण पर कोई विचार नही हुआ और न ही न्यास परिषद ने स्थायीकरण करने का कोई निर्णय लिया। अपितु</u>

डा० देवी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर विचारोपरान्त उसके नियुक्ति आदेश में त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित एक वर्ष की समय सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। न्यास परिषद के निर्णय से स्पष्ट पता चलता है कि दिनांक १०.११.९८ को न्यास परिषद ने डा० द्विवेदी के सेवा विस्तार करने का ही कोई निर्णय लिया और न ही स्थायीकरण किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि डा० देवी प्रसाद द्विवेदी की नियुक्ति २४.६.९४ को श्री आर०के० सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा केवल एक वर्ष के लिए की गयी थी और पुनः उनके सेवा के विस्तार ३ वर्ष के लिए किया गया। इस प्रकार अन्तिम रूप से डा० देवी प्रसाद द्विवेदी का कार्यकाल दिनांक २४.०६.९८ को समाप्त हो गया। दिनांक २४.०६.९८ के पश्चात न तो कोई सेवा विस्तार किया और न ही डा० द्विवेदी के पुर्नानियुक्ति का कोई आदेश ही किए गए। अतः उनकी सेवा अवधि स्वतः दिनांक २४.०६.९८ को निष्प्रभावी हो समाप्त हो गयी।"

ठ. उपरोक्त आदेश वर्तमान याचिका में आक्षेपित किया गया है।

३. इस न्यायालय द्वारा पारित, अंतरिम आदेश दिनांकित २३.०८.२००२ द्वारा आक्षेपित आदेश को निलम्बित कर दिया गया। अंतरिम आदेश का पालन हुआ और याचिकाकर्ता पूर्व की भांति पूजा अर्चना इत्यादि करता रहा।

४. कालान्तर में याचिकाकर्ता को पद्म विभूषण व पद्म श्री से सम्मानित किया गया और वर्ष २०१६ से २०१८ के मध्य वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य भी रहा। इसके उपरान्त भी याचिकाकर्ता अपना दायित्व निभाता रहा।

५. अंतरिम आदेश के रहते हुए व इस न्यायालय की बिना कोई अनुमति लिये, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद ने १०४वी बैठक दिनांक २२.०२.२०२३ में यह निर्णय लिया कि, चूँकि याचिकाकर्ता की उम्र ६० वर्ष से अधिक है, इसलिए न तो उनको मानदेय दिया जा सकता है और न ही उनको कार्यरत रखा जा सकता है, आदेश का सारांश निम्न हैः–

“इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि डा० देवी प्रसाद द्विवेदी की नियुक्ति २२.०६.१९९४ को तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए की गयी थी जिसे तीन वर्ष तक सेवा विस्तार दिया गया। श्री द्विवेदी की नियुक्ति बिना पद सृजन के की गयी थी। डा० देवी प्रसाद द्विवेदी की नियुक्ति दिनांक २४.०६.१९९८ को स्वतः समाप्त हो गयी। शिकायत होने के क्रम में शासन द्वारा करायी गयी जाँच में आरोप सत्य पाये जाने के कारण तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा श्री द्विवेदी के विरूद्ध धनराशि वसूली के आदेश पृथक से निर्गत करने के आदेश दिये गये थे। श्री द्विवेदी द्वारा मा० उच्च न्यायालय से अधिवक्ता की अनुपस्थिति के क्रम में स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया गया। श्री द्विवेदी दिनांक २०.१०.२०१६ को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके तथा मा० उच्च न्यायालय के वसूली रोकने के आदेश का अनुपालन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में न्यास परिषद के निर्मय के आलोक में दिनांक २०.१०.२०१६ (अधिवर्षता आयु ६० वर्ष) के उपरान्त श्री द्विवेदी का किसी भी प्रकार से कोई मानदेय व अधिकार नहीं बनता है। श्री द्विवेदी की नियुक्ति लोक सेवा आयोग में होने के कारण इनको दिये जाने वाले मार्ग व्यय का भुगतान सितम्बर २०१६ तक किया गया है। अक्टूबर २०१६ मार्ग व्यय का भुगतान अवरूद्ध कर दिया गया। श्री द्विवेदी द्वारा अपने प्रत्यावेदन से दिनांक ०४.११.२०१८ को कार्यभार ग्रहण करना बताया गया है। परन्तु वर्तमान में उपलब्ध पत्रावली में कोई रिकार्ड नहीं है।

१. डा० देवी प्रसाद द्विवेदी की ६० वर्ष की आयु २० अक्टूबर, २०१६ को ही पूर्ण हो चुकी है।

२. श्री द्विवेदी की नियुक्ति बिना पद सृजन के तथा बिना सक्षम अधिकारी के की गयी थी।

३. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अन्तर्गत अधिग्रहण के समय जिन पुजारीगण के प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया है, वह स्मस्त पुजारीगण सेवानिवृत्त हो चुके है। वर्तमान में जो भी पुजारी कार्यरत है सभी आचार्य उच्च

योग्यता धारी एवं समस्त प्रकार के पूजा, आरती इत्यादि में दक्ष है। वर्तमान में कोई प्रशिक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त परिस्थितियों के आलोक में न्यास परिषद यह निर्णय लेता है कि श्री द्विवेदी के प्रकरण में मा० न्यायालय के आदेश का अनुपालन न्यास परिषद द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में सभी प्रकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के अनुसार अधिकतम ६० वर्ष की आयु ही अधिवर्षता आयु नियत है। चूँकि श्री द्विवेदी अपनी अधिवर्षता आयु ६० वर्ष पूर्ण कर चुके है, इसलिए न्यास परिषद के अन्तर्गत इन्हे कार्यरत नहीं रखा जा सकता। तद्नुसार श्री द्विवेदी के प्रत्यावेदन पर निर्णय लिया जाता है।"

६. उपरोक्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने एक अवमानना आवेदन (कंटेम्पट अपलीकेशन, सिविल) संख्या १६६३ सन् २०२३, इस न्यायालय में दाखिल करी कि उपरोक्त निर्णय इस न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांकित २३.०८.२००२ के विपरीत है। उक्त अंतरिम आदेश की भी अवहेलना हुई है। अतः यह अवमानना का मामला बनता है। उचित पीठ ने आदेश दिनांकित ०३.०३.२०२३ द्वारा यह आदेश दिया कि याचिकाकर्ता पूर्व की भांति श्रृंगार भोग आरती (रात्रि ८ से १० बजे तक) काशी विश्वनाथ मंदिर में करता रहेगा। काशी विश्वनाथ न्यास के विद्वान अधिवक्ता ने भी उक्त आदेश के प्रति सहमति दी। ऐसा प्रतीत होता है याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश का पालन या तो स्वः इच्छा से या अन्य परिस्थितियों के कारणवश नहीं किया और श्रृंगार आरती नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं करी।

७. उपरोक्त पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने एक आदेश दिनांकित २६.०८.२०२५ पारित करा कि सभी पक्षकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कर सहमति के आधार पर कोई निर्णय लें।

८. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण एवं याचिकाकर्ता जो आज न्यायालय में स्वयं उपस्थित हैं उन्होने यह कथन किया कि पक्षकारों ने दो बार आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता की। पहले प्रयागराज में, फिर वाराणसी में और यह भी बताया

गया, कि आपस में लिया गया कोई भी निर्णय, सर्वप्रथम न्यास की बैठक में स्वीकृत कराना होगा और इसलिए यह उचित होगा कि पक्षकारों के पक्ष का श्रवण कर, यह न्यायालय, आदेश पारित करे। जिससे उसे न्यास की बैठक में स्वीकृत कराने की आवश्यकता ही न रह जाये।

९. उपरोक्त पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता को , उसके विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.एन.सिंह को व उनके सहयोगी विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत कुमार सिंह को , प्रतिवादी सं० १, २, ३ के विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत संकल्प को व प्रतिवादी संख्या ४ के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवेदन को ध्यानपूर्वक श्रवण किया। प्रतिवादी सं० ५ की तरफ से कोई अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं हुआ।

१०. प्रतिवादी का कथन रहा है कि याचिकाकर्ता उसका कर्मचारी नहीं है और उसकी नियुक्ति 'आचार्य' के रूप में वर्ष १९९८ के बाद विस्तारित नहीं की गयी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी 'अधिनियम १९८३' की धारा २१ (१) तथा २१ (३) के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरूद्ध आदेश पारित करने का अधिकार रखता है। यह अविवादित है, याचिकाकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही एक शिकायत पत्र को संज्ञान में लेते हुए प्रारम्भ करी गई थी। उनका यह भी कथन रहा है कि आक्षेपित आदेश पारित करने के पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का पूर्ण परिपालन किया और कार्यवाही पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थी। इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के जीवान्त होने के बावजूद, क्योकि याचिकाकर्ता ६० वर्ष की उम्र से अधिक हो गये थे , केवल इस कारण से ही उनको अग्रिम कार्य न कराने का आदेश दिनांक २३.०२.२०२५ को पारित किया गया था।

११. श्री विनीत संकल्प, न्यास के विद्वान अधिवक्ता ने अनुदेश के आधार पर यह कथन किया कि न्यास को याचिकाकर्ता के विद्वता, उनकी निष्ठा व उनके मंदिर में मनोयोग से पूजा अर्चना करने के विषय में किंचित भी संदेह नहीं है और न्यास इस न्यायालय के द्वारा पारित किसी भी निर्णय का सम्मान करेगा।

१२. याचिकाकर्ता स्वयं न्यायालय कक्ष में उपस्थित हैं और न्यायालय की अनुमति से उन्होनें अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष, भावुकता परन्तु गम्भीरता से प्रस्तुत किया। भगवान शिव की महात्मय के विषय में उन्होने उच्चारण किया कि:–

"तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर।"

"यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः॥"

जिसका अर्थ है " हे महेश्वर ! मैं आपके तत्व (रहस्य) को नहीं जानता हूं कि आप कैसे हो । परन्तु हे महादेव ! आप जिस किसी तरह के हो, जैसे हो, वैसे के वैसे लगन आपको मैं बार–बार प्रणाम करता हूँ ।”

१३. याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होने आचार्य के रूप में मन्दिर में अपनी सेवायें बिना किसी भेद–भाव से, सम्पूर्ण विधि–विधान से, नियमित रूप से पूजा अर्चना करके दी और मानदेय भी न्यास के बार–बार आग्रह करने के उपरान्त ही स्वीकार किया। वह कभी भी न्यास का कर्मचारी नहीं रहा। उसको, उसकी विशेषताओं के कारण आचार्य पद पर कुछ विशेष कार्यों के सम्पादन हेतु नियुक्त किया गया। विशेष रूप से रात्रि भोग आरती को विधिवत् सम्पादित करने के लिए, जो उसने मनोयोग से पूर्ण की। आक्षेपित आदेश, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि तत्कालीन एक वरिष्ठ शासकीय अधिकारी को उन्होने एक विशिष्ट पूजा करने से रोका था, क्योकि उसके कारण मंदिर को खाली नहीं कराया जा सकता था, जबकि भक्त दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। वह आज भी भगवान विश्वनाथ की रात्रि भोग आरती, मनोयोग से करना चाहते हैं, जब तक उसका शरीर उनका साथ दे। वह किसी भी पदाधिकारी से किसी भी प्रकार की शिकायत का भाव नहीं रखते हैं। मात्र उचित सम्मान के प्रार्थी है।

१४. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच. एन. सिंह ने प्रतिवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या पांच ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है एवं प्रतिवादी संख्या - १,२ एवं ३ के द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में पूर्व में उल्लेखित घटना को बहुत सामान्य रूप से अस्वीकार किया है एवं अन्य कारकों के दृष्टिगत वो घटना ही आक्षेपित आदेश पारित करने का कारण हो सकती है। विधिक रूप से आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। आक्षेपित आदेश तथ्यात्मक दृष्टि से भी विकृत है। जब याचिकाकर्ता अविवादित रूप से न्यास का कर्मचारी ही नहीं है तो अधिनियम - १९८३ के उपबन्ध उस पर लागू ही नहीं हो सकते हैं। अन्तिम न्यास की बैठक में लिये गये निर्णयों का पूर्णतः विपरीत अर्थ, आक्षेपित आदेश में दिया गया है जो

न्यायसंगत नहीं है। इसी प्रकार याचिकाकर्ता ६० वर्ष का हो गया है मात्र इस कारण 'आचार्य' का कार्य नहीं कर सकता, यह निर्णय भी न्यायसंगत नहीं है।

१५. प्रतिवादी सं० १,२ व ३ के विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत संकल्प ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करने की असफल कोशिश करी, क्योकि उपरोक्त वर्णित तथ्य उनके किसी भी तर्क के विरोध में है। उन्होनें पुनः निवेदन किया कि यह न्यायालय वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों के दृष्टिगत जो आदेश पारित करेगा, उसका यथायोग सम्मान किया जायेगा।

१६. उपरोक्त के संदर्भ में इस न्यायालय का मत है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में दिये तर्क में बल है कि आक्षेपित आदेश तथ्यात्मक व विधिक दोनों रूपों में त्रुटिपूर्ण है। यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि आदेश दिनांकित १२.०७.२००० स्वयं में विरोधाभाषी है। याचिकाकर्ता न तो न्यास का कर्मचारी और न ही ६० वर्ष की उम्र के के उपरान्त भी, उपरोक्त कार्य सम्पादित करने में कोई विधिक बाधा है परिस्थितियों के दृष्टिगत आक्षेपित आदेश पूर्वाग्रह से ग्रसित भी प्रतीत होता है। 'आचार्य' का पद एक परम्परागत पद है या यह कहा जा सकता है कि यह एक 'दायित्व' है। उसकी मंदिर के किसी साधारण कर्मचारी से तुलना नहीं की जा सकती है। अतः आदेश दिनांकित १२.०७.२००० खण्डित किया जाता है और इसी कारणवश अन्य आदेश दिनांकित २२.०२.२०२३ भी न्यायसंगत न होने के कारण खण्डित किया जाता है और समस्त परिस्थितियों व सभी पक्षों के प्रतिवेदन के दृष्टिगत वर्तमान याचिका निम्न निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती हैः–

क. याचिकाकर्ता पूर्व की भांति ही रात्रि भोग श्रृंगार आरती का सम्पादन विधिपूर्वक करता रहेगा। जिसका कोई मानदेय नहीं होगा।

ख. प्रतिवादी संख्या १,२ व ३ यह सुनिश्चित करेंगे कि पूजन–अर्चन सुगमता से सम्पादित होता रहे एवं याचिकाकर्ता उचित सम्मान का अधिकारी रहेगा।

ग. याचिकाकर्ता यदि चाहे तो सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, बुद्धवार व गुरूवार) को ही रात्रि भोग श्रृंगार आरती करने का निर्णय ले सकता है और इसके लिए वो प्रतिवादी को २ सप्ताह के भीतर सूचित करेगा।

घ. रात्रि भोग श्रृंगार आरती के समय याचिकाकर्ता अपने साथ एक सहयोगी रख सकता है बशर्ते वो कर्म–काण्ड व पूजा–पद्यति का उचित ज्ञाता हो।

ङ. प्रतिवादी संख्या १, २ व ३ यदि निर्धारित करना चाहें तो मास में एक दिवस व कुछ समय निश्चित कर सकेंगे, जिससे याचिकाकर्ता, उपासकगणों को कर्म–काण्ड से सम्बन्धित शिक्षा दे सके। ऐसा आयोजन मंदिर परिसर में ही होगा।

च. याचिकाकर्ता स्वः इच्छा से रात्रि भोग श्रृंगार आरती का सम्पादन कभी भी त्याग सकते है, उसका स्वास्थ्य एक कारण हो सकता है। ऐसा करने के पूर्व वह न्यास को सूचित करेगा।

छ. याचिकाकर्ता से अपेक्षा रहेगी कि वो एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति होने के नाते अपने उक्त कृत्यों में सरलता बनाये रखेगा।

१७. उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में किसी विवाद की दशा में, जब विवाद आपसी बातचीत से सुलझ न पायें तो कोई भी पक्षकार, इस न्यायालय में पुर्नविचार याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

निर्णय दिनांक– २४.०९.२०२५

अवधेश **(०२ अश्विन, १९४७ शक)**

(सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति)

Digitally signed by :-
AWADESH KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad